



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर



क्रमांक: परीक्षा-I/ ADI/5P/-1

दिनांक 17.03.2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय.....

विषय:- बोर्ड परीक्षा 2020 के परीक्षा केन्द्रों पर (COVID-19) कोरोना वायरस से बचाव हेतु आवश्यक
दिशा-निर्देश

**“बोर्ड परीक्षा 2020 के दौरान कोरोना वायरस के बचाव हेतु समस्त केन्द्रधीक्षकों को निम्नानुसार निर्देशों की
पालना सुनिश्चित करायें”**

1. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा कक्षों में परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था एक परीक्षार्थी से दूसरे परीक्षार्थी के मध्य
दूरी यथा सम्भव एक भीटर रखी जाये।
2. जिन केन्द्रों पर उपरोक्त व्यवस्थानुसार परीक्षा कक्ष छोटे हो वहां कक्षों में परीक्षार्थी संख्या आधी कर अन्य कक्ष में
बैठक व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक कक्ष में दो के रथान पर एक-एक वीक्षक नियुक्त करायें।
3. परीक्षा कक्षों की कमी होने पर पुस्तकालय, औडिटोरियम, प्रयोगशाला इत्यादी का उपयोग किया जा सकता है।
4. परीक्षा के दौरान वीक्षण परिवेषण कार्य में जुड़े समस्त स्टाफ अपना घेरा, फेस मास्क / रुमाल / साधारण कपड़े से
आवश्यक रूप से ढक कर रखें।
5. परीक्षा केन्द्र पर पृथक से सेनिटाइजर / हैण्डवाश की व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।
6. प्रतिदीन परीक्षा कक्षों की उचित साफ सफाई कराई जाये।
7. परीक्षा केन्द्र के शौचालयों की प्रतिदिन सफाई एवं पर्याप्त पानी, साबुन / हैण्डवाश की व्यवस्था की जायें।
8. परीक्षा केन्द्र पर प्रशंसित मात्रा में कचरापात्र(डस्टबीन) रखायें एवं प्रतिदिन सफाई सुनिश्चित करें एवं कचरापात्रों को
ढक कर रखा जाये।
9. किसी परीक्षार्थी के खासी, जुकाम के लक्षण पाये जाने पर उसे फेस मास्क / रुमाल / टिशु पेपर उपलब्ध करायें एवं
टिशु पेपर के प्रयोग पश्चात डस्टबीन में डिसोज करवायें।
10. परीक्षार्थी के अत्यधिक खांसी, जुकाम, बुखार के पीड़ित होने पर उसकी बैठक व्यवस्था पृथक से की जायें।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा कोरोनो वायरस के बचाव हेतु जारी दिशा

निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार वांछित कारबाई करायें:-

1. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों को परीक्षा पूर्व एवं पश्चात समूह में खड़े नहीं होने देवें।
2. परीक्षार्थियों को अधिक से अधिक पानी पीने एवं बिना हाथ धोए अपने हाथों को मुंह, आंख, नाक कान पर हाथ
नहीं लगाने हेतु निर्देशित करें।
3. परीक्षार्थियों को आपस में हाथ मिलाने एवं गले मिलाने के रथान पर नमस्ते करने हेतु प्रेरित करें।
4. परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र एवं अन्य सार्वजनिक रथान पर थूकने की मनाही करायें।
5. परीक्षार्थियों को अत्यधिक खांसी, जुकाम, बुखार सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें नजदीक स्वास्थ्य केन्द्र पर
डॉक्टर से समर्पक करने हेतु निर्देशित करें।
6. किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार / अफवाहों से बचने हेतु सूचित करें।

www.rajteachers.com

१७/३/२०२०
सचिव

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा).....।
3. निजी सचिव अध्यक्ष महोदय / सचिव महोदय।

17/3/2020
विषेशाधिकारी(परीक्षा)